

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 15-10-2026

विषय सूची

भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गृह मंत्रालय के पोर्टल द्वारा जनता से सुझाव आमंत्रित

भारत में विनिवेश एवं राजकोषीय प्रबंधन

किगाली संशोधन के 10 वर्ष: भारत के शीतलन संबंधी विकल्प क्यों महत्वपूर्ण

भारत के लिए ई-मोबिलिटी ही भविष्य की दिशा

संक्षिप्त समाचार

दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य पालन समझौता (SIOFA)

ओमान द्वारा भारत के शीर्ष LNG आपूर्तिकर्ता के रूप में अमेरिका का स्थान प्रतिस्थापित

भारत का कॉयर क्षेत्र (Cair Sector)

प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (PMSSY)

खनन परियोजना से दुर्लभ जेयपोर ग्राउंड गेको के भविष्य को खतरा

अभ्यास IBSAMAR IX

भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गृह मंत्रालय के पोर्टल द्वारा जनता से सुझाव आमंत्रित

संदर्भ

- गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय समिति ने एक पोर्टल शुरू किया है, जिसके माध्यम से नागरिकों, सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) आदि को भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के संबंध में अपने सुझाव एवं जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए विशेष रूप से वर्ष 2011 के बाद के आँकड़ों और सूचनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर उच्च-स्तरीय समिति (HLCDC) के बारे में

- **गठन:** केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया।
- समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:
 - अवैध प्रवासन सहित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों का व्यापक अध्ययन करना।
 - ऐसे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के संभावित कारणों का अध्ययन करना, जिनमें प्रजनन दर में भिन्नता, सीमापार आवागमन (अवैध प्रवासन सहित), आर्थिक अवसर तथा अन्य सामाजिक-पर्यावरणीय कारक शामिल हैं।
 - इन परिवर्तनों के अंतर्निहित कारकों की पहचान करना, जिनमें अवैध प्रवासन, असामान्य बसावट के प्रतिरूप तथा नियोजित प्रवासन शामिल हैं।
 - इन प्रवृत्तियों की निरंतर निगरानी के लिए सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण तथा पहचान प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र की सिफारिश करना।

भारत में जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियाँ

- **घटती प्रजनन दर:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर लगभग 2.0 हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है।
 - यह दर्शाता है कि भारत राष्ट्रीय स्तर पर धीरे-धीरे जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- **घटती जन्म दर:** नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) की रिपोर्ट 2024 के अनुसार:
 - भारत की जन्म दर वर्ष 2014 में प्रति 1,000 जनसंख्या पर 21 थी, जो वर्ष 2024 में घटकर 18.3 हो गई।

- यह गिरावट बदलते जनसांख्यिकीय प्रतिरूपों, बढ़ते शहरीकरण, साक्षरता में वृद्धि तथा स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार नियोजन तक बेहतर पहुँच को दर्शाती है।

सीमा-संबंधी जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ

- **भारत-बांग्लादेश सीमा:** भारत की बांग्लादेश के साथ 4,096 किमी लंबी सीमा है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है।
 - असम आंदोलन (1979-1985) असम में अवैध प्रवासियों के विरुद्ध चलाया गया एक जन-आंदोलन था।
 - इस आंदोलन का नेतृत्व अखिल असम छात्र संघ (AASU) तथा अखिल असम गण संग्राम परिषद (AAGSP) ने किया था।
- **भारत-म्यांमार सीमा:** भारत की म्यांमार के साथ 1,643 किमी लंबी सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है।
 - वर्ष 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता के कारण चिन शरणार्थियों और रोहिंग्या प्रवासियों का मणिपुर एवं मिजोरम में आगमन बढ़ गया।
- **भारत-पाकिस्तान सीमा:** भारत की पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी लंबी सीमा है।
 - जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान से होने वाली सीमापार घुसपैठ लंबे समय से आतंकवाद, उग्रवाद तथा आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से जुड़ी रही है।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन से संबंधित चिंताएँ

- **राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता:** अवैध प्रवासन से घुसपैठ, संगठित अपराध तथा सीमा अस्थिरता का जोखिम बढ़ सकता है, जिससे सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **सामाजिक सद्भाव:** धर्म, जातीयता अथवा भाषा से जुड़े जनसांख्यिकीय परिवर्तन सामाजिक तनाव, पहचान-आधारित राजनीति तथा भूमि एवं रोजगार को लेकर संघर्ष बढ़ा सकते हैं।
 - मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हुई जातीय हिंसा ने भूमि, पहचान तथा जनसांख्यिकीय चिंताओं को लेकर समुदायों के बीच विद्यमान तनाव को उजागर किया।
- **संसाधनों का वितरण:** बड़े पैमाने पर प्रवासन से आवास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कल्याणकारी योजनाओं तथा रोजगार के अवसरों पर दबाव बढ़ सकता है।
 - असम और त्रिपुरा के सीमावर्ती जिलों में दस्तावेज़-विहीन प्रवासन के कारण भूमि पर अतिक्रमण, रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा तथा सार्वजनिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंताएँ सामने आई हैं।

- **मूलनिवासी एवं जनजातीय समुदायों का संरक्षण:** विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के मूलनिवासी और जनजातीय समुदायों को आशंका है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण उनकी सांस्कृतिक पहचान, भूमि अधिकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकते हैं।

चुनौतियाँ

- **अद्यतन जनगणना आँकड़ों का अभाव:** भारत में विगत जनगणना वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी, जबकि आगामी जनगणना वर्ष 2027 के लिए निर्धारित है।
 - अद्यतन जनगणना आँकड़ों की अनुपलब्धता जनसांख्यिकीय आकलन तथा नीतिगत निर्माण की सटीकता को प्रभावित कर सकती है।
- **मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ:** भेदभाव, सामाजिक ध्रुवीकरण तथा पात्र व्यक्तियों को गलत तरीके से बाहर किए जाने की आशंकाएँ विद्यमान हैं।
- **संघीय एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ:** प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न राज्यों की राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक प्रतिक्रियाएँ अलग-अलग हो सकती हैं।
- **सीमा प्रबंधन संबंधी चुनौतियाँ:** भारत की पड़ोसी देशों के साथ लंबी और कई स्थानों पर सुगम्य अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ हैं। प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकी, अवसंरचना का विकास तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

आगे की राह

- **सीमा अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए भारत को सीमा पर बाड़बंदी, निगरानी प्रणालियों तथा तकनीकी निगरानी तंत्र में सुधार करना चाहिए।
- **समयबद्ध जनगणना आयोजित करना:** सरकार को जनगणना का समय पर आयोजन सुनिश्चित करना चाहिए तथा साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्माण को सक्षम बनाने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणालियों को सुदृढ़ करना चाहिए।
- **संवैधानिक संरक्षण सुनिश्चित करना:** पहचान या निर्वासन से संबंधित किसी भी कार्रवाई में विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए तथा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **समावेशी जनसंख्या नीतियाँ:** जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी उपायों में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए:
 - महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना।
 - स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना।
 - जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना।
 - स्वैच्छिक परिवार नियोजन उपायों को प्रोत्साहित करना।

- जनसंख्या नियंत्रण के लिए बलपूर्वक उपायों से बचना चाहिए।

निष्कर्ष

- जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के विश्वसनीय आकलन के लिए भरोसेमंद आँकड़ों, पारदर्शी पद्धति तथा प्राकृतिक जनसंख्या प्रवृत्तियों और प्रवासन के बीच सावधानीपूर्वक अंतर करना आवश्यक है।
- समिति के निष्कर्षों से साक्ष्य-आधारित नियोजन तथा कानूनसम्मत प्रवासन प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। साथ ही, निजता, संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक समरसता की रक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

स्रोत : TH, PIB

भारत में विनिवेश एवं राजकोषीय प्रबंधन

संदर्भ

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने IDBI बैंक में 60.72% हिस्सेदारी की ₹52,878 करोड़ में फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को रणनीतिक बिक्री की स्वीकृति दी। यह निर्णय सरकार के वार्षिक विनिवेश लक्ष्य के लगभग पूरा होने के बावजूद लिया गया।

भारत सरकार की विनिवेश नीति

- विनिवेश के संबंध में सरकार की नीति में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में रणनीतिक विनिवेश/निजीकरण।
 - CPSEs में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री।
 - रणनीतिक विनिवेश से तात्पर्य किसी CPSE में सरकार की संपूर्ण या पर्याप्त हिस्सेदारी की बिक्री के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण से है।
- निजीकरण रणनीतिक विनिवेश का एक उप-प्रकार है। इसमें CPSE में सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण किसी निजी रणनीतिक खरीदार को हस्तांतरित कर दिया जाता है।
 - रणनीतिक विनिवेश के अन्य मामलों में सरकारी इक्विटी हिस्सेदारी और नियंत्रण किसी अन्य CPSE को हस्तांतरित किया जा सकता है।
- कुछ CPSEs में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित किए बिना की जाती है। इसके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा अनुमोदित विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO), बिक्री हेतु प्रस्ताव (OFS), शेयरों की पुनर्खरीद आदि।

- ये विधियाँ निम्नलिखित माध्यमों से पूँजी बाजार को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं:
 - बेहतर प्रदर्शन करने वाले CPSEs के सार्वजनिक रूप से कारोबार योग्य शेयरों की उपलब्धता बढ़ाना।
 - खुदरा निवेशकों को शेयरों की व्यापक शृंखला में निवेश करने का अवसर प्रदान करना।
 - पूँजी बाजार की तरलता और गहराई में वृद्धि करना।
- राजकोषीय घाटे का प्रबंधन:** सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे को GDP के 4.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अन्य परिस्थितियाँ समान रहने पर, ऋण से इतर अतिरिक्त प्राप्तियाँ व्यय के वित्तपोषण में सहायता कर सकती हैं तथा उधार लेने की आवश्यकता को कम कर सकती हैं।

विनिवेश का महत्व

नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (PSE) नीति

- आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (PSE) नीति को मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद वर्ष 2021 में अधिसूचित किया गया। यह नीति रणनीतिक विनिवेश के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करती है।
 - इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की उपस्थिति को न्यूनतम करना है।
 - इसके अंतर्गत वर्तमान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को शामिल किया गया है।
- विनिवेश किए जाने वाले क्षेत्रों का दो श्रेणियों में वर्गीकरण:
 - रणनीतिक क्षेत्र :** इन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की उपस्थिति न्यूनतम आवश्यक स्तर तक सीमित रखी जाएगी। शेष उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा अथवा उनका अन्य CPSEs के साथ विलय, सहायक कंपनियों के रूप में पुनर्गठन या समापन किया जाएगा।
 - इसके अंतर्गत निम्नलिखित चार क्षेत्र शामिल हैं:
 - परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं रक्षा।
 - परिवहन एवं दूरसंचार।
 - विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज।
 - बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएँ।
 - गैर-रणनीतिक क्षेत्र :** इस श्रेणी के CPSEs का निजीकरण किया जाएगा; अन्यथा उन्हें बंद किया जाएगा।
- परिचालन दक्षता में सुधार:** निजी क्षेत्र की भागीदारी से अधिक सुदृढ़ व्यावसायिक प्रोत्साहन, पेशेवर प्रबंधन तथा बेहतर जवाबदेही को बढ़ावा मिल सकता है।
- राजकोषीय बोझ में कमी:** इससे घाटे में चल रहे अथवा अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन करने वाले उद्यमों को सरकारी सहायता देने की आवश्यकता कम हो सकती है।
- प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा:** जहाँ पर्याप्त सुरक्षा उपाय विद्यमान हों, वहाँ निजी क्षेत्र की भागीदारी सेवा की गुणवत्ता में सुधार, नवाचार को प्रोत्साहन तथा प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ कर सकती है।
- सार्वजनिक परिसंपत्तियों की क्षमता का उपयोग:** विनिवेश से सरकारी निवेश के मूल्य को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है तथा पूँजी को अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

चिंताएँ

- अनिश्चित बाजार परिस्थितियाँ:** निवेशकों की कमजोर धारणा, मूल्यांकन में उतार-चढ़ाव तथा क्षेत्र-विशिष्ट जोखिम लेन-देन में विलंब कर सकते हैं या बिक्री से प्राप्त राशि को कम कर सकते हैं।
- मूल्यांकन संबंधी चिंताएँ:** सार्वजनिक परिसंपत्तियों को उनके उचित आर्थिक मूल्य से कम कीमत पर बेचने से सरकारी राजकोष को दीर्घकालिक हानि हो सकता है।
- रोजगार संबंधी चिंताएँ:** कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा, सेवा शर्तों तथा भविष्य में पुनर्गठन को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है।
- राजस्व संबंधी अनिश्चितता:** विनिवेश से प्राप्त राशि एकमुश्त आय होती है और यह नियमित कर राजस्व का स्थायी विकल्प नहीं बन सकती।

निष्कर्ष

- विनिवेश सार्वजनिक पूँजी का बेहतर उपयोग करने तथा वाणिज्यिक उद्यमों की दक्षता बढ़ाने के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन को सुदृढ़ कर सकता है। हालाँकि, यह राजस्व सृजन के सतत स्रोतों का विकल्प नहीं है।

सरकार विनिवेश जारी क्यों रख रही है?

- बढ़ता सब्सिडी व्यय:** पश्चिम एशिया में संघर्ष तथा होर्मुज जलडमरूमध्य से संबंधित व्यवधानों ने व्यय संबंधी दबाव बढ़ा दिया है। इसका विशेष प्रभाव उर्वरक तथा तेल से संबंधित सहायता पर पड़ा है।
- अनुमान से अधिक उर्वरक सब्सिडी की आवश्यकता:** वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.71 लाख करोड़ के बजटीय अनुमान की तुलना में अप्रैल-अगस्त के दौरान यूरिया तथा पोषक तत्व-आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी व्यय ₹1.03 लाख करोड़ तक पहुँच गया।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनिवेश समावेशी एवं सतत विकास में योगदान दे, एक पारदर्शी और रणनीतिक रूप से संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जो राजकोषीय आवश्यकताओं, आर्थिक दक्षता, जनहित तथा परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक मूल्य के बीच संतुलन स्थापित करे।

निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM)

- विनिवेश विभाग की स्थापना वर्ष 1999 में एक अलग विभाग के रूप में की गई थी।
- वर्ष 2016 से इसका नाम बदलकर निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) कर दिया गया।
- वर्तमान कार्य आवंटन नियमों के अनुसार, इस विभाग का कार्यादेश निम्नलिखित है:
 - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी हिस्सेदारी के विनिवेश सहित, केंद्र सरकार के इक्विटी निवेशों के प्रबंधन से संबंधित सभी मामले।
 - पूर्ववर्ती केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केंद्र सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी की बिक्री से संबंधित सभी मामले, चाहे यह बिक्री बिक्री हेतु प्रस्ताव (OFS), निजी नियोजन (Private Placement) अथवा किसी अन्य माध्यम से की जाए।

स्रोत : IE, DIPAM

किगाली संशोधन के 10 वर्ष: भारत के शीतलन संबंधी विकल्प क्यों महत्वपूर्ण

संदर्भ

- 15 अक्टूबर 2016 को अपनाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली संशोधन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के उपयोग में कमी लाने के वैश्विक प्रयासों के एक दशक को चिह्नित करता है।

किगाली संशोधन क्या है?

- पृष्ठभूमि:** वर्ष 1987 में अपनाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। इसके अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) जैसे ओजोन-क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रावधान किया गया।
- इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?** HFCs को CFCs के विकल्प के रूप में व्यापक रूप से अपनाया गया, क्योंकि ये ओजोन परत का क्षय नहीं करते हैं। हालाँकि, अनेक HFCs में वैश्विक तापन की उच्च क्षमता होती है।
- अंगीकरण:** इसे 15 अक्टूबर 2016 को किगाली, रवांडा में अपनाया गया तथा यह 1 जनवरी 2019 को प्रभावी हुआ।
- उद्देश्य:** विश्वभर में HFCs के उत्पादन और उपभोग में क्रमिक कमी लाना। इसमें पूर्ण प्रतिबंध के बजाय इनके उपयोग एवं उत्पादन को चरणबद्ध रूप से कम करने का प्रावधान है।

- जलवायु संबंधी लाभ:** इसका पूर्ण कार्यान्वयन वर्ष 2100 तक वैश्विक तापन को लगभग 0.3°C – 0.5°C तक रोकने में सहायता कर सकता है।

महत्वपूर्ण प्रशीतक: CFCs बनाम HFCs

- CFCs (क्लोरोफ्लोरोकार्बन):** ये समतापमंडलीय ओजोन परत को हानि पहुँचाते हैं तथा वैश्विक तापन में भी योगदान देते हैं।
- HFCs (हाइड्रोफ्लोरोकार्बन):** ये सीधे तौर पर ओजोन परत का क्षय नहीं करते हैं, लेकिन इनमें से अनेक की वैश्विक तापन क्षमता अधिक होती है।
- कम वैश्विक तापन क्षमता वाले विकल्प:** अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ हाइड्रोकार्बन जैसे विकल्प जलवायु पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकते हैं। हालाँकि, इनका चयन उपकरणों की आवश्यकताओं तथा सुरक्षा संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

जलवायु कार्रवाई के लिए शीतलन क्यों महत्वपूर्ण है?

- शीतलन दो प्रमुख तरीकों से जलवायु को प्रभावित करता है:
 - प्रशीतक उत्सर्जन:** एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर तथा अन्य शीतलन उपकरणों से HFCs का रिसाव हो सकता है, जिससे वैश्विक तापन में वृद्धि होती है।
 - विद्युत की खपत:** शीतलन उपकरण बड़ी मात्रा में विद्युत की खपत करते हैं। यदि इस विद्युत का उत्पादन जीवाश्म ईंधनों से किया जाता है, तो इससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हो सकता है।

किगाली संशोधन के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताएँ

- अनुसमर्थन:** भारत ने वर्ष 2021 में इस संशोधन का अनुसमर्थन किया।
- HFCs के उत्पादन एवं उपभोग पर रोक:** भारत को वर्ष 2028 में निर्धारित आधार स्तर पर HFCs के उत्पादन और उपभोग को स्थिर करना होगा।
- कटौती की समय-सारणी:** वर्ष 2032 में आधार स्तर की तुलना में प्रथम बार 10% की कटौती की जाएगी। इसके बाद क्रमशः अधिक कटौती करते हुए वर्ष 2047 तक इसे 85% तक पहुँचाया जाएगा।
- प्रमुख चुनौती:** बढ़ते तापमान, शहरीकरण, आय में वृद्धि तथा एयर कंडीशनिंग तक बढ़ती पहुँच के कारण भारत में शीतलन की माँग में वृद्धि होने की संभावना है।

आगे क्या किए जाने की आवश्यकता है?

- ऊर्जा दक्षता में सुधार:** उपकरणों के मानकों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ताकि नए शीतलन उपकरण कम विद्युत की खपत करें।

- **प्रशीतकों का प्रबंधन:** पुराने उपकरणों से प्रशीतकों को पुनर्प्राप्त, पुनर्चक्रित अथवा सुरक्षित रूप से नष्ट किया जाना चाहिए, ताकि उनके रिसाव को रोका जा सके।
- **उद्योग को समर्थन:** निर्माताओं और तकनीशियनों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी, वित्तीय सहायता तथा प्रशिक्षण तक पहुँच उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- **कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना:** उपकरणों की सर्विसिंग संबंधी प्रक्रियाओं, प्रशीतक पुनर्प्राप्ति प्रणालियों तथा HFCs के उपयोग की निगरानी में सुधार किया जाना चाहिए।

बहुपक्षीय कोष

- **बहुपक्षीय कोष:** इसकी स्थापना वर्ष 1990 में विकासशील देशों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।
- **उद्देश्य:** यह प्रौद्योगिकी रूपांतरण, क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करता है।
- **महत्व:** वित्तीय एवं तकनीकी सहायता विकासशील देशों को वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ अपनाने में सहायता करती है, ताकि संक्रमण की पूरी लागत का भार घरेलू उद्योगों पर न पड़े।

स्रोत : IE

भारत के लिए ई-मोबिलिटी ही भविष्य की दिशा

संदर्भ

- दिल्ली के उपराज्यपाल ने हाल ही में कहा कि ई-मोबिलिटी देश की रणनीतिक आवश्यकताओं, विकास तथा पारिस्थितिक दिशा के लिए भविष्य का मार्ग है।

ई-मोबिलिटी

- ई-मोबिलिटी (विद्युत गतिशीलता) से तात्पर्य पेट्रोल या डीजल से मुख्यतः संचालित होने वाले वाहनों के स्थान पर विद्युत-चालित वाहनों एवं परिवहन प्रणालियों के उपयोग से है।
 - इसमें परिवहन को अधिक स्वच्छ एवं ऊर्जा-दक्ष बनाने के लिए विद्युत वाहनों (EVs), बैटरियों, चार्जिंग अवसंरचना तथा संबंधित प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है।

विद्युत वाहन

- EV ऐसा वाहन है, जो बैटरी में संचित ऊर्जा का उपयोग करने वाली विद्युत मोटर से संचालित होता है। इसे किसी बाहरी विद्युत स्रोत से पुनः चार्ज किया जा सकता है।
- EVs के चार प्रकार हैं:
 - **बैटरी विद्युत वाहन (BEVs):** ये पूरी तरह से विद्युत से संचालित होते हैं।

- **हाइब्रिड विद्युत वाहन (HEVs) एवं प्लग-इन हाइब्रिड विद्युत वाहन (PHEVs):** इनमें वाहन को संचालित करने के लिए आंतरिक दहन इंजन और विद्युत मोटर दोनों का उपयोग किया जाता है। PHEVs में अतिरिक्त रूप से ऐसी बैटरी होती है, जिसे बाहरी विद्युत स्रोत से चार्ज किया जा सकता है। इससे वाहन लंबी दूरी तक केवल विद्युत शक्ति से चल सकता है।
- **ईंधन सेल विद्युत वाहन (FCEVs):** इनमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसका उपयोग वाहन को संचालित करने में होता है।



भारत में EVs को अपनाने की स्थिति

- भारत में EVs को अपनाने की दर में कई गुना वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष 2015-16 में 0.08% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 8.26% हो गई।
- भारत की वृद्धि दर वैश्विक प्रवृत्तियों से अधिक रही है, जहाँ EV की बिक्री में लगभग 20 गुना वृद्धि दर्ज की गई।
- वर्ष 2020 में भारत में EV की बाजार पैठ वैश्विक स्तर की केवल पाँचवें हिस्से के बराबर थी। वर्ष 2024 में यह बढ़कर वैश्विक स्तर के दो-पाँचवें हिस्से से अधिक हो गई।
- वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा EV बाजार बनकर उभरा, जिसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान रहा।
- **निर्यात:** EV निर्यात का मूल्य वर्ष 2020 में 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024 में 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। प्रमुख निर्यात गंतव्यों में नेपाल, इंडोनेशिया और जापान शामिल थे।
- **अवसंरचना:** भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के अनुसार, जुलाई 2026 तक उपलब्ध 52,718 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों में से 16,561 में तीव्र EV चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है।

- **निवेश:** भारत के EV पारितंत्र में वित्त वर्ष 2025 के दौरान 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश एकत्रित किया गया, जो वर्ष 2024 की तुलना में लगभग 27% अधिक था। इस अवधि में दिल्ली EV निवेश के लिए अग्रणी शहर के रूप में उभरी।
- **ई-विटारा (2025):** यह सुजुकी का प्रथम वैश्विक रणनीतिक बैटरी विद्युत वाहन (BEV) है। भारत में निर्मित इन BEVs का निर्यात 100 से अधिक देशों में करने का लक्ष्य है। इस उपलब्धि के साथ भारत EVs के लिए सुजुकी का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन गया।
 - वर्ष 2025 में भारत का EV बाजार 3.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। अनुमान है कि 54.94% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ते हुए यह वर्ष 2034 तक 191.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।
 - भारत का EV बैटरी बाजार वर्ष 2025 में 2.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2034 तक 15.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है। इसके लिए 21.70% की CAGR का अनुमान है।
- **लक्ष्य:** भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कुल वाहन बिक्री में विद्युत वाहनों की हिस्सेदारी 30% तक पहुँचाना है। यह वैश्विक EV30@30 पहल के अनुरूप है।
 - वर्ष 2030 तक पूरे भारत में 13.2 लाख चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना से EV पारितंत्र को अधिक सुदृढ़ करने का लक्ष्य है।

EVs को अपनाने में चुनौतियाँ

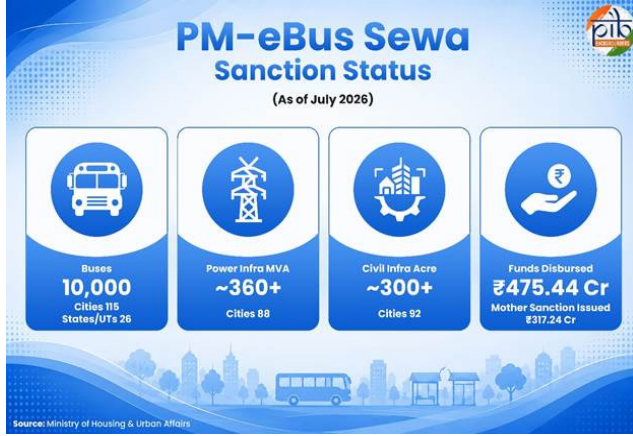
- **उच्च प्रारंभिक लागत:** भारत में विद्युत वाहन खरीदने की प्रारंभिक लागत पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।
 - इस लागत में वाहन की कीमत के साथ-साथ बैटरी की लागत भी शामिल होती है।
- **सीमित चार्जिंग अवसंरचना:** चार्जिंग अवसंरचना की अपर्याप्त उपलब्धता भारत में EVs को अपनाने के मार्ग में एक प्रमुख बाधा बनी हुई है।
- **दूरी संबंधी चिंता :** चार्जिंग स्टेशन तक पहुँचने से पहले बैटरी की ऊर्जा समाप्त हो जाने का भय भारतीय उपभोक्ताओं के बीच एक प्रमुख चिंता है। यह विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं में देखा जाता है, जो EV खरीदने पर विचार कर रहे हैं।
- **बैटरी प्रौद्योगिकी एवं आपूर्ति शृंखला:** भारत लिथियम-आयन बैटरियों के लिए अत्यंत सीमा तक आयात पर निर्भर है। इससे लागत बढ़ती है तथा EV क्षेत्र आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।

- **उपभोक्ता जागरूकता एवं शिक्षा:** भारत में अनेक उपभोक्ताओं को विद्युत वाहनों, उनके लाभों, प्रौद्योगिकी तथा उपलब्ध मॉडलों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है।

सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना (NEMMP) एवं FAME-I:** विद्युत वाहनों को अपनाने और उनके उत्पादन में तीव्रता लाने के लिए NEMMP लागू की गई।
 - इस मिशन के अंतर्गत विद्युत एवं हाइब्रिड वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2015 से 2019 तक हाइब्रिड एवं विद्युत वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण करने की योजना (FAME India) लागू की गई।
- **FAME-II (विद्युत वाहनों को तीव्रता से अपनाने एवं विनिर्माण करने की योजना—चरण II):** वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य EVs को अपनाने की दर बढ़ाना, ई-बस नेटवर्क का विस्तार करना तथा चार्जिंग अवसंरचना को सुदृढ़ करना है।
- **भारत में ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI-Auto):** वर्ष 2021 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों (AAT) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
 - टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी प्रमुख कंपनियों ने EV उत्पादन में बड़े निवेश के माध्यम से इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं।
 - इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए कंपनियों को कम-से-कम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **भारत में विद्युत यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना, 2024 (SPMEPCI):** वैश्विक वाहन निर्माताओं को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित आवेदकों को पाँच वर्ष की अवधि में विद्युत चारपहिया वाहनों (e-4W) की पूर्णतः निर्मित इकाइयों (CBUs) का आयात करने की अनुमति दी जाती है। इन वाहनों का न्यूनतम CIF (लागत, बीमा एवं मालभाड़ा) मूल्य 35,000 अमेरिकी डॉलर होना चाहिए तथा इन पर 15% की रियायती सीमा शुल्क दर लागू होती है।
- **भारत विद्युत गतिशीलता सूचकांक (IEMI):** नीति आयोग ने वर्ष 2025 में भारत विद्युत गतिशीलता सूचकांक (IEMI) जारी किया। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विद्युत गतिशीलता संबंधी लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन, मापन तथा तुलनात्मक मूल्यांकन करना है।
 - इस सूचकांक के हालिया परिणामों में दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ को सुदृढ़ विद्युत गतिशीलता पारितंत्र वाले अग्रणी क्षेत्रों के रूप में स्थान दिया गया।

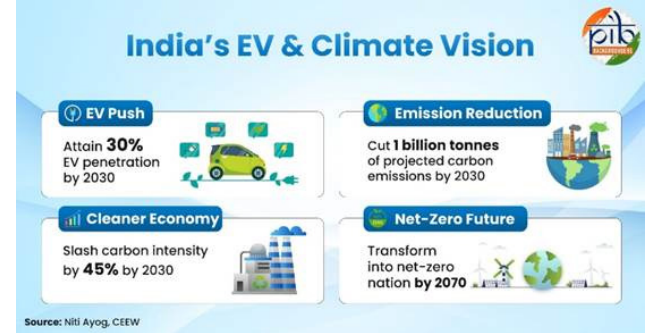
- **PM ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) योजना:** इसे वर्ष 2024 में अधिसूचित किया गया। यह योजना तैनात की गई प्रत्येक बस के लिए अधिकतम 12 वर्ष तक भुगतान सुरक्षा प्रदान करती है।



- **दिल्ली की EV नीति:** इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना तथा शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वर्ष 2026 में सरकार ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पुराने और अधिक उत्सर्जन करने वाले ट्रकों तथा बसों को बदलने के लिए एक व्यापक योजना को स्वीकृति दी।
 - दो वर्ष की यह योजना दिल्ली-NCR (दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) में लगभग 2.07 लाख वाणिज्यिक वाहनों को बदलने में सहायता प्रदान करेगी।
- **राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM):** वर्ष 2025 के राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन में EVs को नवाचार-आधारित विकास के प्रमुख 'बीज' क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य GDP में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को वर्ष 2023 के 12.9% से बढ़ाकर 25% करना है।
 - यह उन्नत विनिर्माण को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने तथा EV उत्पादन को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत करने के माध्यम से भारत के EV पारितंत्र को सुदृढ़ करता है।
- **नवोन्मेषी वाहन संवर्धन के लिए PM इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति योजना (PM E-DRIVE):** इसका उद्देश्य लक्षित माँग प्रोत्साहनों, घरेलू विनिर्माण को समर्थन तथा चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार के माध्यम से EVs को अपनाने की प्रक्रिया में तीव्रता लाना है।
- **EVs पर कम GST:** भारत में EVs पर 5% की रियायती वस्तु एवं सेवा कर (GST) दर लागू होती है। यह दर सभी विद्युत कारों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर लागू होती है। इससे पारंपरिक वाहनों की तुलना में इन पर कर का बोझ काफी कम हो जाता है।

आगे की राह

- भारत आयात पर निर्भर बाजार से स्वयं को EV उत्पादन के वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है।
 - यह परिवर्तन ऊर्जा सुरक्षा, तेल आयात में कमी तथा वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने जैसी भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप है।



- सरकार कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानकों के अगले चरणों—CAFE III (2027–2032) और CAFE IV (2033–2037)—को विकसित कर रही है।
 - इनमें विश्वव्यापी समन्वित हल्के वाहन परीक्षण प्रक्रिया (WLTP) के आधार पर CO₂ उत्सर्जन के अधिक कठोर लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं।
- भविष्य की दिशा आपूर्ति शृंखला के गहन एकीकरण, बैटरी के घरेलू विनिर्माण एवं स्थानीयकरण में तीव्रता तथा सुदृढ़ चार्जिंग अवसंरचना के विकास से निर्धारित होगी।
- ये सभी स्तंभ मिलकर वैश्विक EV परिदृश्य में भारत के नेतृत्व की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

स्रोत : TH

संक्षिप्त समाचार

दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य पालन समझौता (SIOFA)

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य पालन समझौते (SIOFA) में भारत के शामिल होने को स्वीकृति दे दी है। इससे समझौते में भारत की स्थिति एक सहयोगी गैर-अनुबंधकारी पक्ष से उन्नत होकर पूर्ण अनुबंधकारी पक्ष की हो जाएगी।

SIOFA क्या है?

- दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य पालन समझौता (SIOFA) दक्षिणी हिंद महासागर के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय समझौता है।

- यह मछलियों, मोलस्क, क्रस्टेशियाई जीवों और अन्य स्थिरजीवी प्रजातियों को शामिल करता है। हालाँकि, इसमें समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के अनुलग्नक-1 में सूचीबद्ध अत्यधिक प्रवासी प्रजातियों तथा उन स्थिरजीवी प्रजातियों को शामिल नहीं किया गया है, जो तटीय राज्यों के मत्स्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं।
- हिंद महासागर में मत्स्य प्रबंधन के दो प्रमुख क्षेत्रीय ढाँचे हैं: SIOFA और हिंद महासागर टूना आयोग (IOTC)।
 - भारत वर्ष 1996 से IOTC का एक अनुबंधकारी पक्ष रहा है। यह आयोग अत्यधिक प्रवासी टूना तथा टूना जैसी अन्य प्रजातियों का प्रबंधन करता है।

क्या आप जानते हैं?

- अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र का वैश्विक महासागरीय क्षेत्र में लगभग 65% हिस्सा है। इन जलक्षेत्रों में मत्स्यन गतिविधियों पर चीन, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया और स्पेन का प्रमुख प्रभाव है। इनकी हिस्सेदारी क्रमशः 21%, 13%, 11%, 11% और 8% है।
- वर्तमान में भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाज मुख्यतः तट से 60–80 समुद्री मील की दूरी के अंदर संचालित होते हैं। SIOFA में शामिल होने से भारतीय मछुआरों और उद्यमियों को अपने पारंपरिक परिचालन क्षेत्रों से परे समुद्री संसाधनों तक पहुँचने के अवसर मिल सकते हैं।

स्रोत: MoneyControl

ओमान द्वारा भारत के शीर्ष LNG आपूर्तिकर्ता के रूप में अमेरिका का स्थान प्रतिस्थापित

समाचार में

- ओमान, संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आपूर्तिकर्ता बन गया है।

भारत के LNG आपूर्तिकर्ताओं की रैंकिंग

- भारत ने सितंबर 2026 में 2.17 मिलियन टन LNG का आयात किया, जो अगस्त की तुलना में लगभग 14% कम था।
- ओमान पहले स्थान पर रहा और उसने भारत के कुल LNG आयात का 27% हिस्सा आपूर्ति किया। नाइजीरिया दूसरे स्थान पर रहा।
- भारत को अमेरिकी LNG की आपूर्ति में अगस्त की तुलना में 59% की गिरावट आने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर खिसक गया।
- परंपरागत रूप से प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहे कतर को छठा स्थान मिला। उसने लगभग 94,000 टन LNG की आपूर्ति की।

LNG क्या है?

- LNG प्राकृतिक गैस को लगभग -162°C तक ठंडा करके बनाया जाता है, जिससे वह तरल में परिवर्तित हो जाती है और उसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो जाता है।
- द्रवीकरण की प्रक्रिया से इसका आयतन गैसीय अवस्था के आयतन का लगभग एक-छठा सौवाँ भाग रह जाता है।
- LNG का परिवहन विशेष रूप से ऊष्मारोधित जहाजों में किया जाता है। आयात टर्मिनलों पर पुनः गैसीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से इसे वापस गैस में परिवर्तित किया जाता है।

LNG के उपयोग

- विद्युत उत्पादन और उर्वरक निर्माण।
- घरेलू गैस वितरण, जिसमें खाना पकाने और परिवहन में उपयोग शामिल है।
- औद्योगिक तथा अन्य वाणिज्यिक अनुप्रयोग।

आपूर्तिकर्ताओं की रैंकिंग में बदलाव क्यों हुआ?

- पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक व्यवधानों ने ऊर्जा आपूर्ति मार्गों और उपलब्धता को प्रभावित किया।
- अमेरिकी LNG कार्गो के लिए यूरोपीय खरीदारों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत के लिए इनकी उपलब्धता कम हो गई।
- उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 में ईरानी हमले के बाद कतर के रास लफान औद्योगिक नगर में उत्पन्न व्यवधानों ने कतर से होने वाली आपूर्ति को प्रभावित किया।

भारत के लिए महत्त्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:** आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने से सीमित संख्या में देशों पर निर्भरता कम होती है।
- **मूल्य स्थिरता:** अनेक आपूर्तिकर्ताओं तक पहुँच होने से आपूर्ति में व्यवधान के दौरान अधिक लचीलापन प्राप्त हो सकता है।
- **आयात संबंधी संवेदनशीलता:** भारत अभी भी भू-राजनीतिक तनावों, LNG के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित हो सकता है।

स्रोत: TH

भारत का कॉयर क्षेत्र(Coat Sector)

संदर्भ

- भारत का कॉयर क्षेत्र एक सतत विकासोन्मुख और निर्यात-उन्मुख उद्योग के रूप में महत्त्व प्राप्त कर रहा है। यह ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तीकरण और कृषि अपशिष्ट के मूल्यवर्धन को बढ़ावा देता है।

कॉयर क्या है?

- कॉयर नारियल के कठोर बाहरी छिलके से निकाला जाने वाला एक प्राकृतिक रेशा है। इसका उपयोग चटाइयाँ, रस्सियाँ, ब्रश, गद्दे और अन्य उत्पाद बनाने में किया जाता है।
- भारत विश्व में कॉयर और कॉयर उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग दो-तिहाई है।

भारत में कॉयर क्षेत्र

- यह क्षेत्र 7 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। इनमें लगभग 80% महिलाएँ हैं, जो मुख्यतः ग्रामीण परिवारों से आती हैं।
- वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कॉयर निर्यात ₹6,614.40 करोड़ तक पहुँच गया, जबकि वित्त वर्ष 2014-15 में यह ₹1,630.33 करोड़ था। इसमें लगभग 306% की वृद्धि हुई।
- उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 21,000 से अधिक कॉयर इकाइयाँ पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 2.3 लाख लोग कार्यरत हैं।

कॉयर विकास योजना

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय कॉयर उद्योग के सतत विकास के लिए कॉयर विकास योजना लागू करता है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- इसके प्रमुख हस्तक्षेपों में शामिल हैं:
 - ♦ ग्रामीण महिलाओं सहित कारीगरों के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण।
 - ♦ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास तथा उन्नत मशीनरी को बढ़ावा देना।
 - ♦ घरेलू बिक्री, निर्यात और व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए सहायता।
 - ♦ वित्तीय सहायता तथा उत्पादन संबंधी अवसंरचना का विकास।

स्रोत : PIB

प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (PMSSY)

समाचार में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कथित तौर पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पाँच वर्षों के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। इसके लिए ₹53,428 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है तथा इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (PMSSY) कर दिया गया है।

योजना के बारे में

- **शुभारंभ:** 15 अगस्त 1995 को मूल रूप से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के रूप में शुरू किया गया।
- **मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग।
- **प्रकृति:** 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित तथा अंशदान-रहित सामाजिक सहायता कार्यक्रम।
- **उद्देश्य:** कमजोर वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें वृद्धजन, विधवाएँ, दिव्यांगजन तथा ऐसे परिवार शामिल हैं, जिन्होंने अपने परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य को खो दिया है।
- **संवैधानिक आधार:** राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 41 राज्य से अपेक्षा करता है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता के अंदर वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता और अभाव की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्रदान करे।

प्रमुख विशेषताएँ

- **वृद्धावस्था पेंशन:** पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया है।
- **विधवा पेंशन:** पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना कर दिया गया है।
- **दिव्यांगता पेंशन:** पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (IGNDPS) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना कर दिया गया है।
- **पारिवारिक लाभ:** पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना कर दिया गया है। इसके अंतर्गत परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर पात्र BPL परिवारों को एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है।
- **दिव्यांगता संबंधी पात्रता:** उपलब्ध कराई गई घोषणा के अनुसार, पात्रता के लिए गंभीर दिव्यांगता की सीमा 80% से घटाकर 40% की मानक दिव्यांगता कर दी गई है। यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप है।
- **आयु और सहायता:** उपलब्ध कराई गई घोषणा के अनुसार, दिव्यांगता पेंशन के लिए न्यूनतम आयु की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। 0-79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को ₹375 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹625 प्रतिमाह की सहायता दी जाती है।
- **कवरेज:** घोषणा में लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को कवर किए जाने का उल्लेख है।

स्रोत: AIR

खनन परियोजना से दुर्लभ जेयपोर ग्राउंड गेको के भविष्य को खतरा

संदर्भ

- ओडिशा की बाल्दा पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन परियोजना दुर्लभ जेयपोर ग्राउंड गेको के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है।

परिचय

- ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की पहाड़ियों में विशिष्ट आकृतियों और आकर्षक पैटर्न वाली जेयपोर ग्राउंड गेको की एक छोटी जनसंख्या पाई जाती है।
- वर्ष 2010 में एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा पुनः खोजे जाने से पहले इसे 130 वर्षों तक विलुप्त माना जाता रहा था।
- विगत एक वर्ष में ओडिशा की बाल्दा पहाड़ियों में इस संकटग्रस्त प्रजाति के केवल चार जीवों का अभिलेखीकरण किया गया है।

जेयपोर ग्राउंड गेको

- जेयपोर ग्राउंड गेको छिपकली की एक दुर्लभ प्रजाति है, जो भारत के ओडिशा क्षेत्र के पूर्वी घाट से संबंधित है।
- वैज्ञानिक नाम:** सर्टोडैक्टाइलस जेपोरेंसिस।
- विवरण:** यह रात्रिचर गेको लगभग 3.6 इंच लंबी होती है। इसका सिर अपेक्षाकृत बड़ा तथा शरीर पीले-नारंगी रंग का होता है। इसका मूल वर्णन वर्ष 1878 में ब्रिटिश प्रकृतिवादी रिचर्ड हेनरी बेडडोम ने किया था।



- वितरण:** यह भारत के पूर्वी घाट क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है, जो दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है।
- आवास:** यह सामान्यतः लगभग 1,200–1,300 मीटर की ऊँचाई पर स्थित नम अर्ध-सदाबहार वनों में पाई जाती है।
- खतरे:** कॉफी के बागानों के विस्तार, जलविद्युत परियोजनाओं और खनन के कारण इसका प्राकृतिक आवास तेजी से सिकुड़ रहा है।
- IUCN स्थिति:** उद्धृत IUCN आकलन के अनुसार, इसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है।
- CITES:** इसे परिशिष्ट-II में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य अस्थिर दोहन को रोकने में सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना है।

स्रोत: TH

अभ्यास IBSAMAR IX

संदर्भ

- भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का निर्देशित-प्रक्षेपास्त्र युक्त स्टील्थ फ्रिगेट, भारतीय नौसेना पोत (INS) तरकश, भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका समुद्री अभ्यास (IBSAMAR) के नौवें संस्करण, IBSAMAR 2026 में भाग ले रहा है।

परिचय

- भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) ढाँचे के अंतर्गत वर्ष 2008 से द्विवार्षिक रूप से आयोजित होने वाला IBSAMAR, तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच सामूहिक प्रशिक्षण और परिचालन संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान का एक प्रमुख मंच बन गया है।
- यह त्रिपक्षीय अभ्यास समुद्री अभियानों के व्यापक क्षेत्रों को कवर करता है। इनमें सतही युद्ध, विमान-रोधी युद्ध, पनडुब्बी-रोधी युद्ध, नौसैनिक हवाई अभियान, समुद्री अवरोधन, जहाज पर चढ़कर तलाशी एवं जन्ती (VBSS), समुद्री डकैती-रोधी अभियान, खोज एवं बचाव, क्षति नियंत्रण तथा अग्निशमन शामिल हैं।

स्रोत : DDNews

